स्टार्ट अप को ओडीओपी से जोड़ने पर जोर

मौजूदा स्टार्ट अप नीति में संशोधन करने की तैयारी, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। यूपी में स्टार्ट अप को रफ्तार देने के लिए इसे ओडीओपी से जोड़ने पर जोर दिया जा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि मौजूदा स्टार्ट अप नीति को आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही सीमित माना जाता है। इसमें संशोधन करके स्टार्ट अप को आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स नीति से अलग किया जा रहा है। अब स्टार्ट अप को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से भी जोड़ा जाएगा।

सरकार की मंशा है कि लोग स्थानीय स्तर पर ही जिले की पहचान वाले उत्पाद की इकाई से स्टार्ट अप की शुरुआत करें जिससे आसपास के लोगों को भी रोजगार मिल सके। इसके लिए मेंटर (मार्गदर्शक) से लेकर अन्य प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान नई नीति में किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य, कृषि उत्पाद, घरेलू उत्पाद से संबंधित स्टार्टअप हो सकते हैं। ओडीओपी को उद्यमिता में बदलने के लिए जिला स्तर पर पहचान रखने वाले परंपरागत व्यवसायों को भी इससे जोड़ने की तैयारी है।

विभागों के लिए स्टार्ट अप लक्ष्य तय करने के आदेश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा के दौरान शासन स्तर पर अंतर्विभागीय समन्वय समिति बनाकर विभागों के लिए स्टार्ट अप के लक्ष्य तय कर पूरा कराने का निर्देश दिया है। इसकी सतत निगरानी की जाएगी। जिला स्तर पर समन्वयक नियुक्त करने को भी कहा गया है जो स्टार्ट अप को आगे बढ़ाने में जरूरी सहयोग करें।

हम स्टार्ट अप को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जहां तक 1000 करोड़ रुपये के कार्पस फंड का सवाल है तो इसके लिए अभी सिडबी के साथ एमओयू होना है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही एमओयू कर लिया जाएगा। - आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

स्टार्ट अप में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 6.7%

- सीएम की समीक्षा में सामने आया कि बीते तीन साल में भारत सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीआईपीपी) में यूपी के कुल 1817 स्टार्ट अप ही पंजीकृत हुए हैं। यह पूरे देश की तुलना में सिर्फ 6.7 फीसदी ही हैं।
- प्रदेश में पंजीकृत स्टार्ट अप में 65 प्रतिशत से ज्यादा नोएडा, गाजियाबाद व लखनऊ में हैं। बुंदेलखंड व पूर्वांचल में स्टार्ट अप को लेकर लोगों में दिलचस्पी नहीं है।
- मौजूदा स्टार्ट अप नीति के तहत प्रोत्साहनों की स्वीकृति, स्टार्ट अप की मान्यता तथा प्रोत्साहनों के वितरण की जटिल प्रक्रिया भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन में आड़े आ रही है।

यूपी में स्टार्ट अप

शहर	स्टार्ट अप
नोएडा	633
लखनऊ	300
गाजियाबाद	296
कानपुर नगर	98
वाराणसी	59
मेरठ	51
अन्य जिले	380

स्कूल-कॉलेज से युवाओं को स्टार्ट अप के लिए तैयार करने पर जोर

मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि स्कूल-कॉलेज से ही बच्चों-युवाओं को स्टार्ट अप के लिए तैयार किया जाए। विश्वविद्यालयों में उद्यमिता सेल बनाए जाएं, जिससे युवाओं को मानसिक तौर पर अपना उद्यम स्थापित करने के लिए तैयार किया जा सके।

क्या है स्टार्टअप व इन्क्यूबेशन सेंटर

किसी नए आइडिया पर रोजगारपरक काम शुरू करना स्टार्ट अप की श्रेणी में शामिल है। ज्यादातर स्टार्ट अप इस तरह के उत्पाद या सेवाएं लॉन्च करते हैं, जो बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, इन्क्यूबेशन सेंटर में स्टार्ट अप के लिए वे सारी सुविधाएं मुहैया होती हैं जो किसी नए उद्यम को शुरू करने के लिए जरूरी हैं। यहां मार्गदर्शक (मेंटर) से लेकर उत्पाद की मार्केटिंग तक में मदद की जाती है।